न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 166/2023 दायर दिनांक–20.12.2023

1. किशना पुत्र मोहन पौत्र लाला जाति माली निवासी कुआ सिक्का वाला तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज०)

– वादी

बनाम

1. नारायण पुत्र मोहन पौत्र खेता
2. सांवरमल पुत्र मोहन पौत्र खेता
3. केशर पुत्र मोहन पौत्र खेता
4. प्रभाती पुत्री मोहन पौत्री खेता
5. चावली पुत्री मोहन पौत्री खेता
6. प्रमेश्वरी पुत्री मोहन पौत्री खेता
7. ज्यानकी देवी पत्नी मोहन पौत्रवधु खेता
8. कैलाश पुत्र डेडाराम
9. हरीराम पुत्र डेडाराम (मृतक नाम हजफ)
10. बालूराम पुत्र डेडाराम
11. महावीर पुत्र डेडाराम
12. रामोतार पुत्र डेडाराम
13. जुगल किशोर पुत्र छीतमल
14. महेश पुत्र छीतरमल
15. धुली पत्नी छीतरमल जाति माली निवासीगण कुआ सिक्का वाला तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज०)
16. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज०)
17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज०)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री अशोक कुमार जांगिड़**
वकील प्रतिवादी :– **एकपक्षीय**

दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 09.12.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम चिराना की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 481, 550, 552, 555, 557, 558, 559, 560 कुल किता 8 कुल रकबा 2.09 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 2155 रकबा 1 बीघा 5 विश्वा, खसरा नम्बर 2157 रकबा 4 विश्वा, खसरा नम्बर 2159 रकबा 10 विश्वा, खसरा नम्बर 2160 रकबा 3 बीघा 12 विश्वा, खसरा नम्बर 2154 रकबा 2 बीघा 2 विश्वा कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीघा 5 विश्वा रहे है, जिसकी खातेदारी [illegible], मोहन पुत्र लाला 1/2, गणपत पुत्र मांगया 1/4, मोहन पुत्र खेता 1/4 माली सा.देह खाते [illegible] है, [illegible] आगे विवादित भूमि के नाम से संबोधित की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:59 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 481, [illegible] कुल किता 8 कुल रकबा 2.09 हैक्टर वाके ग्राम चिराना की भूमि मे [illegible] हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व [illegible] रही है, उक्त खेता व मोहन की वंशावली वाद पत्र की मद संख्या 02 अनुसार है।

इस प्रकार स्व० लाला के खेताराम व मोहन थे स्व० खेताराम के एक पुत्र था जिसका नाम मोहन रहा, स्व० मोहन के फौत होने पर उसके वारिसान मे प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 है तथा लाला के दूसरे पुत्र मोहन जिसे घर मे मुन्ना भी कहते थे उसके स्वर्गवास होने पर उसके वारिसान मे वादी है। इस वाद मे हिस्सा संबंधी कोई विवाद नही है। स्व० खेता के नाम वादग्रस्त भूमि मे 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड रहा है तथा खेता के पुत्र मोहन के नाम भी राजस्व रिकार्ड मे मोहन पुत्र खेता हिस्सा 1/4 दर्ज रहा है,

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

जब स्व० खेता का स्वर्गवास हुआ तो खेता के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा व मोहन पुत्र खेता के नाम दर्ज 1/4 हिस्से को मिलाकर मोहन पुत्र खेता हिस्सा 1/2 दर्ज कर राजस्व, रिकार्ड सही दर्ज हुआ है। स्व० लाला के पुत्र मोहन का स्वर्गवास दर्ज होना चाहिये था, सम्वत् 2032 तक राजस्व रिकार्ड बिल्कुल सही दर्ज रहा है, सम्वत 2035 पश्चात् सम्वत 2042 तक सैटलमेंट चला, सैटलमेंट के दौरान स्व० मोहन पुत्र लाला का स्वर्गवास हो गया तो सैटलमेंट अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकार्ड मे उक्त स्व० मोहन पुत्र लाला के, वारिस किशना का नाम तो अंकित कर दिया परन्तु वल्दीयत मे मोहन के स्थान पर लाला दर्ज कर दिया, जिससे वादी का राजस्व रिकार्ड मे किशना पुत्र लाला गलत दर्ज हो गया जबकि राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो को सही जांच कर वादी की वल्दीयत सही दर्ज करनी चाहिये थी। सैटलमेंट के दौरान गणपतराम ने अपने हिस्से की भूमि हिस्सा 1/8 मे अपने भाई डेडाराम का हिस्सा भी होने का कथन किया था। श्रीमान ए. एस.ओ. साहब व तत्कालीन राजस्व कर्मचारियो को केवल गणपत राम के नाम दर्ज हिस्से तक ही पटवारी हल्का को रिपोर्ट करनी चाहिये थी, परन्तु अपनी रिपोर्ट में ही गलत रूप से खाता संख्या 1093 पर किशना पुत्र लाला हिस्सा 1/4 गलत अंकित कर दिया, जिससे ए.एस.ओ. साहब के आदेश से रिकार्ड गलत रूप से किशना पुत्र लाला बन गया, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। सही रूप से किशना पुत्र मोहन दर्ज करना चाहिये था, जबकि वादी के तमाम सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि दस्तावेज मे वादी के पिता का नाम मोहन दर्ज है, इसी प्रकार वादी व प्रतिवादीगण की अन्य भूमि खसरा नम्बर वर्तमान 553 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.04 हैक्टर वाके ग्राम चिराना मे स्थित मे सही रूप से वादी के पिता का नाम मोहन दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ है, जो बिल्कुल सही दर्ज हुआ है, वादग्रस्त भूमि मे लाला के पुत्र का नाम भी मोहन था तथा लाला के दूसरे पुत्र खेता के पुत्र का भी नाम मोहन था यानि कि चाचा भतिजा दोनो का एक जैसा नाम होने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि वादी के कब्जा काश्त मे कोई फर्क नही पड़ता है, लेकिन राजस्व रिकार्ड मे वादी की वल्दीयत गलत दर्ज हो गई, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि मे मोहनपुत्र खेता का स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु राजस्व रिकार्ड मे कोई नामान्तकरण दर्ज नही हुआ है, उक्त मोहन पुत्र खेता के वारिसान में प्रतिवादी नं० 1 लगायत 7 है, जिनको मोहन के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। इसलिये वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 481, 550. 552, 555, 557, 558, 559, 560 कुल किता 8 कुल रकबा 2.09 हैक्टर मे वादी का हिस्सा 1/4 में वादी के पिता का नाम लाला के स्थान पर मोहन दर्ज कर वादी को किशना पुत्र मोहन हिस्सा 1/4 का तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 को हिस्सा 1/2 का तथा प्रतिवादी नं० 8 लगायत 12 को हिस्सा 1/8 का तथा प्रतिवादी नं० 9 लगायत 15 को हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा मृत खातेदार मोहन पुत्र खेता का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर उपरोक्त घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत में वादी के लिये यह दावा बाबत इश्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादी द्वारा गत 2023 में लगे राजस्व अभियान मे उक्त गलत राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर वादी की वल्दीयत मे किशनापुत्र लाला के स्थान पर किशना पुत्र मोहन दर्ज करने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब, नवलगढ़ से मिला तो पटवारी हल्का व तहसीलदार ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर वादी को और राजस्व रिकार्ड निकलवाकर सक्षम न्यायालय मे वाद पेश कर दुरूस्ती करवाने हेतु कहां, जिस पर वादी ने सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 14.09.2023 को प्राप्त की तब वादी को इस तमाम गलत कार्यवाही का पता चलते ही वादी अपने वकील से सम्पर्क कर यह दावा बाबत इश्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

बिनाय दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण जब वादी ने राजस्व अभियान के दौरान श्रीमान तहसीलदार साहब नवलगढ से मिला और [illegible] असमर्थता जाहिर की तब राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 14.09.2023 को प्राप्त क[illegible] मुकाम चिराना पैदा हुआ और अदालत बाला को हक समायत हासिल है।

इश्तदुआ वादी यह है कि दावा हाजा की डिक्री बहक [illegible] खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नानुसार सादिर फरमाई जावे :– भूमि खसरा नम्बर 481, 550, 552, 555, 557, 558, 559, 560 कुल किता 8 कुल रकबा 2.09 हैक्टर वाके ग्राम चिराना मे वादी किशना पुत्र लाला [illegible] स्थान पर किशना पुत्र मोहन हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 को हिस्सा 1/2 का तथा प्रतिवादी नं० 8 लगायत 12 को हिस्सा 1/8 का तथा प्रतिवादी नं0 13 लगायत 15 को हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा गलत रूप से दर्ज मृत खातेदार मोहन का राजस्व रिकार्ड से नाम हटाया जाकर उपरोक्त घोषित खातेदारी अनुसार वादी व प्रतिवादी नं० 1 लगायत 15 का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश तहसीलदार, नवलगढ को दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी नारायण व किशना का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदीयां व नकल मिलान क्षैत्रफल, आधार कार्ड किशनाराम, राशन कार्ड किशनाराम, पहचान पत्र किशनाराम आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर 481, 550, 552, 555, 557, 558, 559, 560 कुल किता 8 कुल रकबा 2.09 हैक्टर वाके ग्राम चिराना का राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। अतः राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे वादी किशना पुत्र लाला के स्थान पर किशना पुत्र मोहन हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 को हिस्सा 1/2 का तथा प्रतिवादी नं० 8 लगायत 12 को हिस्सा 1/8 का तथा प्रतिवादी नं0 13 लगायत 15 को हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा गलत रूप से दर्ज मृतक खातेदार मोहन का राजस्व रिकार्ड से नाम हटाया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 481, 550, 552, 555, 557, 558, 559, 560 कुल किता 8 कुल रकबा 2.09 हैक्टर वाके ग्राम चिराना मे वादी किशना पुत्र लाला के स्थान पर किशना पुत्र मोहन हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 को हिस्सा 1/2 का तथा प्रतिवादी नं० 8 लगायत 12 को हिस्सा 1/8 का तथा प्रतिवादी नं0 13 लगायत 15 को हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतक खातेदार मोहन का नाम राजस्व रिकार्ड हटाया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को उपरोक्त घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:59 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 166 / 2023 (किशना बनाम नारायण आदि)

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 09.12.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 481, 550, 552, 555, 557, 558, 559, 560 कुल किता 8 कुल रकबा 2.09 हैक्टर वाके ग्राम चिराना मे वादी किशना पुत्र लाला के स्थान पर किशना पुत्र मोहन हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 को हिस्सा 1/2 का तथा प्रतिवादी नं० 8 लगायत 12 को हिस्सा 1/8 का तथा प्रतिवादी नं0 13 लगायत 15 को हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतक खातेदार मोहन का नाम राजस्व रिकार्ड हटाया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को उपरोक्त घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.12.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:59 IST
Reason: SelfAttested